संख्या-223/2022-21-1-2022

उत्तर प्रदेश शासन
भाषा अनुभाग-1
संख्या-223/21-1-2022-कं0सं0-1623525
लखनऊ, दिनांकः 31 मई, 2022

अधिसूचना

एतद्द्वारा ब्रजभाषा साहित्य के परिरक्षण, प्रोत्साहन और विकास करने के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय सूरदास ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित आदेश देते हैं-

(1) सूरदास ब्रजभाषा अकादमी के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री तथा राष्ट्रपति शासन की अवधि में श्री राज्यपाल होंगे ।
(2) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव, भाषा विभाग सूरदास ब्रजभाषा अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे ।
(3) ब्रजभाषा के प्रचार-प्रसार से जुडा हुआ वरिष्ठ अध्येता, अकादमी का उपाध्यक्ष होगा जिसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा और उसे शासन द्वारा नामित किया जायेगा ।
(4) सूरदास ब्रजभाषा अकादमी का सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण, अकादमी के संगम ज्ञापन एवं नियमावली के शासन के अनुमोदनोपरान्त कराया जायेगा ।

(जितेन्द्र कुमार)
प्रमुख सचिव ।

संख्या-223(1)/21-1-2022-कं0सं0-1623525, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उ0प्र0, प्रयागराज को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ ।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव ।

संख्या-223(2)/21-1-2022-कं0सं0-1623525, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

5- निदेशक, उ0प्र0 हिन्दी संस्थान, लखनऊ/ निदेशक, उ0प्र0 संस्कृत संस्थान, लखनऊ/ सचिव, हिन्दुस्तानी अकादमी, प्रयागराज ।

6- सचिव, उ0प्र0 उर्दू अकादमी, लखनऊ/ सचिव, स्व0 फखरूद्दीन अली अहमद मेमो0 कमेटी, लखनऊ ।

7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, लखनऊ ।

8- निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ केन्द्र, लखनऊ/ निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ केन्द्र, लखनऊ ।

9- कोषाधिकारी, जवाहर भवन/ जिला कोषागार, लखनऊ ।

10- निदेशक, फर्म्स एवं सोसाइटीज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/ अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(हरि बख्श सिंह)
उप सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।